न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 11/2021

रजू दिनांक 06.08.2021

निर्णय दिनांक 19.1.2023

उनवान

1. महीपाल यादव पुत्र शारदा देवी पत्नी यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुवानी तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

—:अपीलाण्ट।

बनाम

1. पटेलसिंह पुत्र तकदीर सिंह जाति अहीर
2. चन्द्रकला पुत्री तकदीर सिंह जाति अहीर पत्नी महावीर प्रसाद निवासी ग्राम खैराणा तह. कनीना हरियाणा।
3. प्रेम पुत्री तकदीर सिंह जाति अहीर पत्नी प्रकाश निवासी माजरा तह0 कुण्ड,रेवाडी हरियाणा।
4. विजयसिंह पुत्र तकदीर सिंह जाति अहीर
5. सरोज पुत्री तकदीर सिंह जाति अहीर पत्नी वीरेन्द्र निवासी सेका तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ़।
6. उपपंजीयक,नीमराना।

असल रेस्पो0।

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 05.07.2011 ग्राम पंचायत माजरी कलां बाबत इंतकाल सं. 648 वाके ग्राम माजरी कलां नीमराना।

उपस्थितिः— 1 श्री महीपाल यादव एड0 अपीलान्ट की ओर से।
2 रेस्पोडेन्टान की ओर कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई अपील के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:—

अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख.न. 601,602,603,607,688,794,795 कुल किता 07 रकबा 03.58 हैक्टर वाके माजरी कलां तह0 नीमराना का खातेदार मिन अपीलानट का नाना तकदीर सिहं पुत्र चितरूसिह था, जिसका स्वर्गवास दिनांक 22.07.2008 को हो गया था। जिसके वारीसान का सजरा अपील मे दर्ज किया जा रहा है। मिन अपीलान्ट के नाना का स्वर्गवास होने के पश्चात रेस्पो. सं. 01 लगा. 05 ने दूरभिसंधी रचकर गुपचुप मे विरासत का इंतकाल अपने हक मे दर्ज करा लिया तथा ग्राप पंचायत माजरी कलां के सरपंच से साज—बाज हो कर नामांतकरण सं. 648 ग्राम माजरी कलां दिनांक 05.07.2011 को स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करा लिया जिसका ज्ञान मिन अपीलान्ट को नही हुआ,क्योकि अपीलान्ट के नाना मृतक खातेदार तकदीर सिंह की मृत्यु पश्चात उसकी खातेदारी आराजीयात पर मिन अपीलान्ट एंव रेस्पो. 01 लगा. 05 संयुक्त रूप से काबिज हो कर काश्त करते चल आ रहे है। मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से दिनांक 21.06.2021 को राजस्व रिकॉर्ड देखा तो ज्ञात हुआ कि ना तो मिन अपीलान्ट की माता शारदा देवी पुत्री तकदीरसिंह का नाम अंकित है तथा ना ही मिन अपीलान्ट का नाम अंकित है। तब अपीलान्ट को जानकारी हुई की अपीलान्ट के मृतक नाना तकदीर सिंह का इंतकाल 648 दर्ज व मंजूर हुआ है जिसकी नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जाकर नकल प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है तथा दिनांक 05.07.2011 से दिनांक 24.06.2021 तक की अवधि अपील जाने हेतु अलग से दफा 05 कानूनी मियाद का प्रा0 पत्र पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.07.20 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इंतकाल सं. 648 वाके ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना स्वीकृति आदेश दिनांक 05.07.2011 विधि विरुद्व व अधुरे वारीसान दर्शित कर स्वीकृत किया जाने के कारण निरस्त करार दिया जाकर मृतक तकदीरसिंह पुत्र चतरूसिंह की विरासत का इंतकाल मृतक के सभी वारिसान अपीलान्ट व रेस्पो0 के नाम 1/6,1/6 भाग दर्ज व स्वीकृत किए जाने की आज्ञा पारित किए जाने की कृपा करे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 बाद तामील न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए।

हमने अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी तथा हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। नकल इंतकाल सं. 648 वाके ग्राम माजरी कलां के अवलोकन से साबित है कि उक्त इंतकाल मृतक तकदीरसिंह पुत्र चतरूसिंह की विरासत का उसके दो पुत्र व तीन पुत्री व मृतक की बेवा के नाम दर्ज व मंजूर किया गया है। जबकि पत्रावली मे सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम माजरी कलां का प्रमाण पत्र दिनांक 01.10.2021 के अनुसार मृतक तकदीरसिह के चार पुत्रीयां होना बताया है जबकि इंतकाल मे तीन पुत्रीयां का ही नाम अंकित है। नकल इंतकाल के अवलोकन से साबित है कि उक्त इंतकाल अकेले सरपंच के समक्ष पेश हुआ है जिसे एकेले सरपंच ने स्वीकृत किया है। ग्राम पंचायत के अन्य पंचगणों के हस्ताक्षर भी नही है,जिससे प्रतित होता है कि उक्त इंतकाल ग्राम पंचायत के पूर्ण कोरम मे पेश नही हुआ। निर्णय से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मृतक के विधिक वारीसान की कोई जाच भी नही की गई तथा ना ही अपीलान्ट का सुनवाई का अवसर दिया गया,इसलिए प्रकरण मजीद जाच का मोहताज है। सरपंच ग्राम पंचायत माजरी कलां द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2011 निरस्त किए जाने योग्य प्रतित होता है।

अतः आदेश है किः—

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत माजरी कलां का आदेश दिनांक 05.07.2011 बाबत इंतकाल सं0 648 वाके ग्राम माजरी कलां निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण तहसीलदार,नीमराना को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वो मृतक तकादीरसिंह पुत्र चतरूसिंह के विधिक वारिसान की भली—भांति जाच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त इंतकाल मृतक के विधिक वारिसान के नाम स्वीकार करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नीमराना को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.1.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/1/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.07.20 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested